बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 20.8.2020

संख्या-7/स्था0-04-10/2018 सा0प्र0वि0 7206/भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 सहपठित अनुच्छेद 235 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2020

भाग-I

सामान्य।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**-(1) यह नियमावली"बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2020" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषा।**-जब तक कोई बात विषय/सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ-

(क) किसी सरकारी सेवक के संबंध में '**नियुक्ति प्राधिकार**'से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार का राज्यपाल;

(ख) '**बिहार न्यायिक सेवा**' से अभिप्रेत है न्यायिक सेवा संवर्ग;

(ग) किसी सेवा के संबंध में '**संवर्ग प्राधिकार**' से वही अभिप्रेत होगा, जो उस सेवा को विनियमित करने वाली नियमावली में हो;

(घ) '**आयोग**' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ङ) '**अनुशासनिक प्राधिकार**' से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय;

(च) '**सरकार**' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(छ) '**सरकारी सेवक**' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो न्यायिक सेवा संवर्ग का सदस्य हो;

(ज) '**उच्च न्यायालय**' से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय;

(झ) '**न्यायिक सेवा संवर्ग**' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा 'न्यायिक शाखा' भर्ती नियमावली, 1955, के माध्यम भर्त्ती किए गए सदस्य, यथा-सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)/सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और बिहार वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 के माध्यम से जिला न्यायाधीश (प्रविष्टि स्तर) के रूप में भर्त्ती किया कोई सदस्य;

(ञ) '**अवचार**' से अभिप्रेत होगा कोई ऐसा आचरण जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो और लागू अवचार नियमावली के उल्लंघन में हो;

(ट) '**परिवीक्षाधीन**' से अभिप्रेत है परिवीक्षा पर किसी सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ठ) **'पद'** से अभिप्रेत है बिहार राज्य के न्यायिक सेवा संवर्ग के अधीन विद्यमान पद तथा इसमें गैर संवर्गीय पद पर सेवारत सदस्यों का पद भी **सम्मिलित** हैं;

(ड) **'स्थायी समिति'** से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय नियमावली, 1916 के अधीन गठित समिति।

3. यह नियमावली न्यायिक सेवा संवर्ग के प्रत्येक सदस्य पर लागू होगी:

परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों के संबंध में यदि कोई शंका उत्पन्न हो, तो मामला पटना उच्च न्यायालय के लिए निर्देशित किया जायेगा, जिसका उसपर विनिश्चय अंतिम होगा।

भाग–II
वर्गीकरण।

4. **बिहार न्यायिक सेवा का वर्गीकरण।**–राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को निम्नवत् वर्गीकृत किया जायेगा:–

(i) सिविल न्यायधीश 'जूनियर डिवीजन'

(ii) सिविल न्यायधीश 'सीनियर डिवीजन'

(iii) जिला न्यायधीश 'प्रविष्टि स्तर'

भाग–III
नियुक्ति प्राधिकार।

5. बिहार न्यायिक सेवा में प्रोन्नति सहित सभी नियुक्तियाँ, उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार के राज्यपाल द्वारा की जायेंगी:

परन्तु सिविल न्यायाधीश 'सीनियर डिवीजन' संवर्ग में नियुक्तियाँ, उच्च न्यायालय द्वारा, सिविल न्यायाधीश 'जूनियर डिवीजन' की प्रोन्नति से की जायेगी।

भाग–IV
निलंबन।

6. **निलंबन का आदेश।**–(1) उच्च न्यायालय की स्थायी समिति बिहार न्यायिक सेवा के किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकेगी जब–

(क) सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अवेक्षित हो या लंबित हो, अथवा

(ख) पूर्वोक्त प्राधिकार की राय में सरकारी सेवक राज्य की सुरक्षा–हितों, या जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रिया–कलापों में स्वयं संलिप्त हो, अथवा

(ग) सरकारी सेवक के विरूद्ध दंडनीय अपराध का कोई मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन हो, और सक्षम प्राधिकार का यह समाधान हो गया हो कि जनहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन है।

(2) कोई सरकारी सेवक स्थायी समिति के किसी आदेश द्वारा निम्नलिखित तिथि के प्रभाव से निलंबित किया गया समझा जायेगा जब–

(क) उसके कारा–निरोध की तिथि से, यदि वह या तो आपराधिक आरोप पर या अन्यथा 48 घंटों से अधिक अवधि के लिए, अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो;

(ख) उसकी दोषसिद्धि की तिथि से, यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में उसे 48 घंटों से अधिक कारावास की अवधि से दंडादिष्ट किया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तत्काल सेवाच्युत या बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत नहीं किया गया हो।

व्याख्या। इस उप–नियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट 48 घंटों की अवधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी और इस प्रयोजनार्थ कारावास की अन्तर्विरामी कालावधियाँ, यदि कोई हो, परिगणित की जायेंगी।

(3) (i) उप–नियम (2) के अधीन अभिरक्षा की अवधि के पश्चात सरकारी सेवक द्वारा योगदान किये जाने पर निलंबित समझी जाने वाली अवधि समाप्त समझी जायेगी और योगदान स्वीकार किया जायेगा।

(ii) यदि इस नियम के उप–नियम (1) (क) या (ख) या (ग) के अधीन सरकारी सेवक को पुनः निलंबित करने का कोई विनिश्चय किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई योगदान स्वीकार करने के बाद ही और अलग से निलंबन का आदेश निर्गत कर की जा सकेगी।

(4) जहाँ निलम्बनाधीन सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा निवृति की अधिरोपित शास्ति इस नियमावली के अधीन निरस्त कर दी जाती है और मामले को अगली जाँच या कार्रवाई या कोई अन्य निदेश के साथ विप्रेषित कर दी जाती है, वहाँ उसके निलंबन का आदेश सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के मूल आदेश की तिथि को तथा अगले आदेश तक प्रवृत रहेगा।

(5) जहाँ सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति की अधिरोपित शास्ति किसी न्यायालय के किसी विनिश्चय द्वारा निरस्त कर दी जाती है या उसके परिणामस्वरूप शून्य घोषित होती है या शून्य हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकार मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर विचार किये बिना मात्र तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो, सरकारी सेवक के विरूद्ध ऐसे आरोपों, जिनपर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गयी थी, की पुनः जाँच करने का विनिश्चय करता है, वहाँ सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निलंबन के अधीन रखा गया समझा जायेगा और अगले आदेश तक लगातार निलम्बनाधीन रहेगा।

(6) (क) इस नियम के अधीन किया गया अथवा किया हुआ समझा गया कोई निलम्बनादेश तबतक प्रवृत रहेगा जबतक स्थायी समिति द्वारा उसका संशोधन या प्रतिसंहरण न किया गया हो।

(ख) जहाँ कोई सरकारी सेवक निलंबित किया गया हो अथवा निलंबित किया गया समझा गया हो (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) तथा उस निलंबन के बने रहने के दरम्यान उसके विरूद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो, तब उसे निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकार लिखित रूप में अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक ऐसी कार्यवाहियों में से सभी या किसी की समाप्ति तक निलंबित रहेगा।

(7) निलम्बनादेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोपपत्र गठित कर दिया जायेगा और सरकारी सेवक को भी संसूचित कर दिया जायेगा ऐसा नही होने पर तीन माह की समाप्ति पर निलम्बनादेश प्रतिसंहृत हो जायेगा जब तक कि निलम्बनादेश निर्गत करने वाला प्राधिकार आरोपपत्र के गठित किये जाने में विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए अगले चार माह की अवधि के लिए निलम्बन को नवीकृत करने संबंधी आदेश पारित न करे:

परन्तु विस्तारित चार माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि आरोप पत्र गठित नहीं किया जाता है तो निलम्बनादेश प्रतिसंहृत हो जायेगा।

7. **निलम्बन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता।**–(1) निलम्बनाधीन या निलम्बनाधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक अर्द्ध औसत वेतन के बराबर की राशि का जीवन निर्वाह भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर अनुमान्य मँहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु जहाँ निलम्बन की अवधि बारह माह से अधिक हो गयी हो, वहाँ वह प्राधिकार, जिसने ऐसा निलम्बनादेश पारित किया हो, प्रथम बारह माह के पश्चात्वर्ती किसी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता की रकम में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन करने में सक्षम होगा:–

(i) यदि, उक्त प्राधिकार की राय में, निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिए लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी नहीं हो, तो जीवन–निर्वाह–भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम द्वारा बढ़ायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन–निर्वाह–भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) यदि, उक्त प्राधिकार की राय में, निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिए लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले लिखित कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी हो, तो जीवन–निर्वाह–भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम द्वारा घटायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन–निर्वाह–भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iii) मँहगाई–भत्ता की दर इस नियम के उप–खंड (i) या उप–खंड (ii) के अधीन, यथास्थिति, बढ़ी हुई या घटी हुई अनुमान्य जीवन–निर्वाह–भत्ता की दरों पर आधारित होगी;

परन्तु और कि सरकारी सेवक केवल उसी अवधि के लिए जीवन–निर्वाह–भत्ता पाने का हकदार होगा जब निलंबन अवधि के दौरान वह मुख्यालय में वास्तव में उपस्थित रहा हो।

(2) कोई भी सरकारी सेवक उप–नियम (1) के अधीन तबतक भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा जबतक कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारोबार, पेशा या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

(3) जहाँ निलम्बन नियम–6 के उप–नियम (2) के अधीन हो, वहाँ भी जीवन–निर्वाह–भत्ता उपर्युक्त उप–नियम (1) के अनुसार अनुमान्य होगा। सरकारी सेवक के कारावास में रहने के कारण निलंबित समझे जाने के फलस्वरूप जीवन–निर्वाह–भत्ता का भुगतान उसके प्राधिकार पत्र के आधार पर उसके नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा। ऐसे जीवन–निर्वाह–भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा जहाँ ऐसा सरकारी सेवक कारावास में जाते समय पदस्थापित था।

(4) स्थायी समिति जीवन–निर्वाह–भत्ता मंजूर करने तथा उसे बढ़ाने या घटाने के लिए सक्षम प्राधिकार होगी।

8. **निलम्बन के पश्चात् पुनः स्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन भत्ता की अनुमान्यता।**–(1) जब निलम्बनाधीन कोई सरकारी सेवक पुनःस्थापित किया जाता है या इस प्रकार पुनः स्थापित किया जाता यदि निलम्बन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवानिवृति नहीं होती, तो स्थायी समिति निम्न बातों के संबंध में विचार करेगी और विनिर्दिष्ट आदेश देगी–

(क) यथास्थिति, पुनः स्थापन होने या वार्धक्य सेवानिवृति तक निलम्बन अवधि के लिए सरकारी सेवक को भुगतेय वेतन तथा भत्ता; और

(ख) उक्त अवधि कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं।

(2) इस नियमावली के नियम 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी निलम्बित सरकारी सेवक के विरूद्ध शुरू की गयी अनुशासनिक या न्यायालीय कार्यवाही पूरी होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी हो, वहाँ निलम्बन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह निलम्बित नहीं होने पर हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह–भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया एवं ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा।

(3) जहाँ स्थायी समिति की राय हो कि निलम्बन पुर्णरूपेण अनुचित था तो सरकारी सेवक को, इस नियम के उप–नियम (8) के उपबंधों के अध्यधीन, वैसे पूरे वेतन और भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए, वह निलंबित नहीं किये जाने पर, हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह–भत्ता तथा अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा:

परन्तु जहाँ ऐसे प्राधिकार की राय हो कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में उन कारणों के कारण विलम्ब हुआ है जिसके लिए सरकारी सेवक सीधे उत्तरदायी है, तो वह सरकारी सेवक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सकेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर सकेगा। तत्पश्चात वह, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विलम्ब की

अवधि के लिए ऐसे वेतन तथा भत्ते की मात्र उतनी राशि का भुगतान सरकारी सेवक को किया जायेगा जितनी उसके द्वारा अवधारित की जाय।

(4) इस नियम के उप–नियम (3) के अधीन आनेवाले मामलों में निलम्बन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

(5) इस नियम के उप–नियम (2) तथा (3) के अधीन आनेवाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक को, उप–नियम (8) तथा (9) के उपबंधों के अध्यधीन, पूरे वेतन एवं भत्ते के उस अनुपात का, जैसा कि स्थायी समिति अवधारित करे, भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह तब हकदार होता जब उसे निलम्बित नही किया जाता। स्थायी समिति द्वारा ऐसा अवधारण सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात और पूर्वोक्त नोटिस के तामिल होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद दिया जायेगा।

(6) जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही या किसी न्यायालय में कार्यवाही के अंतिम निर्णय के लंबित रहते हुए निलम्बन प्रतिसंहृत किया जाता है, वहाँ सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यवाही पूरी होने के पहले इस नियम के उप–नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश की, स्थायी समिति द्वारा, स्वप्रेरणा से, कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् समीक्षा की जायेगी और स्थायी समिति के द्वारा यथास्थिति, इस नियम के उप–नियम (3) या उप–नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक आदेश पारित किया जायेगा।

(7) इस नियम के उप–नियम (5) के अधीन आनेवाले मामलों में, निलम्बन की अवधि तबतक कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि नहीं मानी जायेगी जबतक कि स्थायी समिति विनिर्दिष्ट रूप से यह निदेश न दे कि यह अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बितायी गयी अवधि होगी।

(8) इस नियम के उप–नियम (2), उप–नियम (3) या उप–नियम (5) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्त्तों के अध्यधीन होगा जिसके अधीन ऐसे भत्ते अनुमान्य हों।

(9) इस नियम के उप–नियम (3) के परन्तुक या उप–नियम (5) के अधीन अवधारित पूर्ण वेतन एवं भत्ते का अनुपात न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही जीवन–निर्वाह–भत्ता से कम।

9. समीक्षा के परिणामस्वरूप सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा निवृति को अपास्त करने के पश्चात् पुनः स्थापन पर सेवा का निरूपण एवं वेतन एवं भत्ते की अनुमान्यता।–

(1) जब किसी सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया हो, को समीक्षा के परिणामस्वरूप पुनः स्थापित किया जाता है अथवा इस प्रकार पुनः स्थापित होता, यदि निलम्बन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवा निवृत्ति नहीं हुई होती तो अनुशासनिक प्राधिकार निम्नलिखित के संबंध में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश देगा–

(क) यथा स्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा–निवृत्ति से पूर्व निलम्बन की अवधि सहित सरकारी सेवक की कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए उसे भुगतान किये जाने वाले वेतन एवं भत्ते के संबंध में; और

(ख) उक्त अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी या नहीं।

(2) सरकारी सेवक को, इस नियम के उप–नियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन, निम्नलिखित मामलों में पूर्ण वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा जो उसे अनुमान्य होता यदि वह, यथास्थिति, ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाता–

(i) जहाँ, अनुशासनिक प्राधिकार की राय में, सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत कर दिया गया था, को पूर्णरूप से दोषमुक्त कर दिया गया हो, अथवा

(ii) जहाँ केवल इस नियमावली की अपेक्षा का अनुपालन नहीं करने के आधार मात्र पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश समीक्षोपरान्त निरस्त कर दिया गया हो, और आगे कोई जाँच किया जाना प्रस्तावित नही हो:

परन्तु जहाँ, समीक्षा प्राधिकार की राय में, सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित समापन की कार्रवाई; सरकारी सेवक को प्रत्यक्ष रूप से माने जाने वाले कारणों से विलम्ब की गई थी, वह उसको अपना अभ्यावेदन देने का अवसर देते हुए और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचारोपरान्त, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इस नियम के उप–नियम (7) के उपबंधों के अध्यधीन, निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक को ऐसे विलम्ब की अवधि के लिए ऐसे वेतन एवं भत्ते का केवल ऐसा अंश ही भुगतान किया जाएगा जैसा कि ऐसे प्राधिकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(3) इस नियम के उप–नियम (2) के अधीन आनेवाले मामलों में, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व निलंबन की अवधि सहित सरकारी सेवक की कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि को, सभी प्रयोजनों के लिए, कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

(4) इस नियम के उप–नियम (2) के अधीन आनेवाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक को, उप–नियम (6) और उप–नियम (7) के अध्यधीन, पूरे वेतन तथा भत्ते के उस अनुपात का, जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार अवधारित करे, भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह तब हकदार होता जब उसे ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्तगी या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत या निलंबित न किया जाता। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसी अवधारणा, सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात् और उसे नोटिस के तामिल होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, की जायेगी।

(5) इस नियम के उप–नियम (4) के अधीन आने वाले मामले में, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व निलंबन की अवधि सहित सरकारी सेवक की कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि को तबतक कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि नहीं मानी जायेगी जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार विनिर्दिष्ट रूप से यह निदेश न दे कि यह अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए बितायी गयी अवधि मानी जायेगी:

परन्तु यदि कोई सरकारी सेवक ऐसा अभ्यावेदन दे, तो ऐसा प्राधिकार विचारण के बाद यह निदेश दे सकेगा कि, यथास्थिति, उसकी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित अनुपस्थिति की अवधि को सरकारी सेवक को देय और अनुमान्य किसी प्रकार की छुट्टी के रूप में परिवर्तित किया जायेगा।

(6) इस नियम के उप–नियम (2) और उप–नियम (4) के अधीन भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्तों के अध्यधीन होगा जिसके अधीन भत्ते अनुमान्य हों।

(7) इस नियम के उप–नियम (2) के परन्तुक या उप–नियम (4) के अधीन अवधारित पूर्ण वेतन एवं भत्ते का अनुपात, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्तें के बराबर होगा और न तो नियम (7) के अधीन अनुमान्य जीवन–निर्वाह–भत्ता एवं अन्य भत्तों से कम।

(8) पुर्नस्थापन होने पर इस नियम के अधीन किसी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार का भुगतान, यथास्थिति, बर्खास्तगी, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और पुर्नस्थापन की तिथि के बीच की अवधि के दौरान किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित रकम, यदि कोई हो, से समंजन के अध्यधीन किया जायेगा। जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन एवं भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित रकम के बराबर या उससे कम होंगे वहाँ सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नही किया जायेगा।

10. जहाँ सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाय वहाँ पुर्नस्थापन पर, सेवा का निरूपण एवं वेतन और भत्ते की अनुमान्यता।–

(1) जहाँ किसी सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाये और ऐसा सरकारी सेवक, आगे किसी और जाँच किये बिना पुर्नस्थापित कर दिया जाय, वहाँ कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि विनियमित कर दी जायेगी और सरकारी सेवक को न्यायालय के निदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, इस नियम के उप–नियम (2) या उप–नियम (3) के उपबंधों के अनुसार वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2) (i) इस नियम के उप–नियम (3) के अधीन आने वाले मामले से भिन्न मामले में सरकारी सेवक को, पूरे वेतन तथा भत्ते के उस अनुपात का, जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार अवधारित करे, भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह तब हकदार होता जब उसे ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्तगी या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति या निलंबित नहीं किया जाता। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसी अवधारण, सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात् और उस नोटिस के तामील होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, किया जायेगा:

परन्तु यह कि इस उप–नियम के अधीन सरकारी सेवक को कोई भी भुगतान, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न तो नियम (7) के अधीन अनुमान्य जीवन–निर्वाह–भत्ता एवं अन्य भत्तो से कम।

(ii) सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और न्यायालय के निर्णय की तिथि के बीच की अवधि नियम 9 के उप–नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

(3) जहाँ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर निरस्त की गयी हो, अथवा जहाँ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने मात्र के आधार पर निरस्त की गयी हो, और आगे कोई जाँच किया जाना प्रस्तावित न हो, वहाँ, यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी। फलस्वरूप, सरकारी सेवक को उस अवधि के लिए पूरे वेतन और भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह तब हकदार होता जब उसे, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबित नही किये जाने पर अनुमान्य होता।

(4) इस नियम के उप–नियम (2) या उप–नियम (3) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्त्तों के अध्यधीन होगा जिसके अन्तर्गत ऐसे भत्ते अनुमान्य हो।

(5) पुनर्स्थापन होने पर इस नियम के अधीन किसी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार का भुगतान, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि के दौरान किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित रकम, यदि कोई हो, से समंजन के अध्यधीन, किया जायेगा। जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन एवं भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित रकम के बराबर या उससे कम होंगी वहाँ सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नही किया जायेगा।

भाग–V

शास्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकार।

11. **लघु एवं वृहत शास्तियाँ।**–समुचित और यथेष्ट कारणों से तथा इसके बाद यथा उपबंधित, निम्नलिखित शास्तियाँ सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकेगी; यथा:–

लघु शास्तियाँ–

(i) निन्दन;

(ii) प्रोन्नति रोकना;

(iii) लापरवाही या आदेशोल्लंघन के कारण सरकार को उसके द्वारा पहुँचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;

(iv) तीन वर्षो से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियों को रोकना;

वृहत शास्तियाँ–

(vi) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धियों को रोकना;

(vii) खंड (vi) में यथोपबंधित के सिवाय, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति, आगे इस निदेश के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं;

(viii) निम्नतर कालमान वेतन कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतः सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, श्रेणी, पद या सेवा में, जिससे उसे अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्त्तन की शर्त्तों तथा उस श्रेणी, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्त्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जाने वाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा;

(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(x) सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;

(xi) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी:

परन्तु ऐसे हरेक मामले में जिसमें किसी पदीय कार्य करने या से प्रविरत करने के लिए पुरस्कार के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, कोई परितोषण स्वीकार किया जाना सिद्ध हो जाय, तो खंड (x) या खंड (xi) में उल्लिखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी:

परन्तु और कि किसी आपवादिक मामले में तथा लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले विशेष कारणों से, कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण।–**(1)** इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति माना नहीं जायेगा, यथाः–

(i) किसी सरकारी सेवक की, जिस सेवा में वह है या जो पद वह धारण करता है उसे शासित करने वाले नियमों या आदेशों या उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर, वेतन–वृद्धि रोक रखना;

(ii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, श्रेणी या पद पर, जिसके लिए वह पात्र हो, उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति रोक देना;

(iii) किसी सरकारी सेवक को, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, श्रेणी या पद, जिसके लिए वह पात्र हो, के लिए उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति नहीं मिलना;

(iv) उच्चतर सेवा, श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत किसी सरकारी सेवक का, उसके आचरण से अन्य जुड़े किसी प्रशासनिक आधार पर, निम्नतर सेवा, श्रेणी या पद पर प्रतिवर्त्तन;

(v) परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, कोटि या पद पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, उसकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के

अनुसार परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या उसके दौरान उसकी स्थायी सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्त्तन;

(vi) अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(vii) सेवा समाप्ति।– (क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक की, उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्त्तो या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, अथवा

(ख) करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की, ऐसे करार के निबंधनों और शर्त्तो के अनुसार।

स्पष्टीकरण।–(2) इस नियम के अर्थान्तर्गत खंड (i), (ii), (iv), (v), (vi), (vii) एवं (viii) में उल्लिखित शास्तियों को निम्न रूप से स्पष्ट किया जाता है, यथा–

(i) **निन्दन।**–निन्दन की प्रविष्टि आरोपों अथवा भूल–चूक के वर्ष की चारित्री में की जायेगी। जिस वर्ष के आरोपों अथवा भूल–चूक के कारण निन्दन की शास्ति दी जायेगी उस निन्दन का संबंधित सरकारी सेवक की संपुष्टि एवं प्रोन्नति के मामलों पर उस वर्ष के बाद से अगले तीन वर्षो तक कुप्रभाव पड़ेगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक को वर्ष 2002–2003 के आरोपों अथवा भूल–चूक के कारण निन्दन की सजा दी जाती है तो उसकी प्रविष्टि वर्ष 2002–2003 की चारित्री में होगी और उसका कुप्रभाव वर्ष 2003–2004 से 2005–2006 तक रहेगा।

ऐसा सरकारी सेवक, जिसे तीन निन्दन की शास्तियाँ मिल चुकी हों, उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब अंतिम (तीसरे) निन्दन के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, उस सरकारी सेवक का अगले 5 वर्षो में कम–से–कम 3 वर्षो का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले 5 वर्षो की अवधि में और कोई प्रतिकूल अभियुक्ति नही दी गई हो। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक को दिये गये तीसरे निन्दन की शास्ति का कुप्रभाव 2002 में समाप्त होता हो और उसकी प्रोन्नति 2008 या उसके पूर्व देय होती तो 2008 में, अर्थात् अंतिम निन्दन के कुप्रभाव की समाप्ति के 5 वर्षो के बाद, उसकी प्रोन्नति देय समझी जायेगी, बशर्त्ते कि 2003 से 2007 तक की 5 वर्षो की अवधि में कम–से–कम 3 वर्षो का उसका कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और इन 5 वर्षो की अवधि में उसे कोई प्रतिकूल अभियुक्ति नहीं दी गई हो।

(ii) प्रोन्नति रोकना।–प्रोन्नति पर रोक की शास्ति देते समय अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि यह सजा किसी विशेष अवधि अथवा पूरे सेवाकाल के लिए होगी।

(iii) तीन वर्षो से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।– इस शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा। इस शास्ति में 'प्रक्रम' का आशय वेतनमान के प्रक्रम से है। चूँकि इसका प्रभाव संचयी नहीं (असंचयात्मक) है, अतः शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर प्रभावग्रस्त सभी प्रक्रमों का लाभ जोड़ते हुए अगला प्रक्रम अनुमान्य होगा।

(iv) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना।– ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोकी जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रूकी रहेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवद्धियाँ संचयी प्रभाव के बिना (अर्थात असंचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रूकी रहेगी। चूँकि शास्ति संचयी प्रभाव के बिना है इसलिए वेतनवृद्धि रोके जाने के बाद की तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रूकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़कर वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा, परन्तु रोकी गई अवधि का आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

इस शास्ति के प्रवर्तन में रहने की अवधि में, अर्थात जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रूकी रहेगी उतने वर्षो तक, किसी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार करना सम्भव होगा।

(v) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना।–ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोकी जायेंगी अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रूकी रहेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवद्धियाँ संचयी प्रभाव के साथ (अर्थात संचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रूकी रहेगी। जितने वर्षों तक की शास्ति रहेगी उतने ही वर्षों की वेतनवृद्धियों के लिए संचयी प्रभाव रहेगा, परन्तु चूँकि शास्ति संचयी प्रभाव के साथ है इसलिए रोकी गई वेतनवृद्धियाँ पूरी सेवाकाल तक के लिए रूक जायेगी। ऐसी स्थिति में रोकी गई वेतनवृद्धियों के बाद तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रूकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़े बिना वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा।

इस शास्ति के प्रवर्तन में रहने की अवधि के दौरान अर्थात् जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रूकी रहेगी उतने वर्षों तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार करना सम्भव होगा।

(vi) कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति, आगे इन निदेशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं।–ऐसी शास्ति दिये जाने के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि कितनी अवधि के लिए ऐसी शास्ति प्रभावी रहेगी और उस दरम्यान वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि शास्ति की अवधि की समाप्ति के बाद भविष्य की

वेतनवृद्धियाँ स्वतः अनुमान्य होने लगेंगी या बाधित रहेंगी, और यदि बाधित रहेंगी तो कितनी अवधि तक बाधित रहेंगी।

ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति के बाद यदि भविष्य की वेतनवृद्धियाँ स्थगित रखी जाती हैं तो जितने वर्षो के लिए वेतनवृद्धियाँ बाधित रहेंगी उतने वर्षों तक प्रोन्नति बाधित रहेगी।

(vii) निम्नतर कालमान वेतन, श्रेणी, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, श्रेणी, पद या सेवा में, जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिए उस श्रेणी या पद या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्तों तथा उस श्रेणी, पद या सेवा में, ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जाने वाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, वर्जन होगी। इस शास्ति संबंधी आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि इसकी प्रभाव–सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए होगी या नहीं। यदि इसकी प्रभाव–सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए करने का इरादा नहीं हो, तो वैसी स्थिति में ऐसी अवनति की अवधि का उल्लेख और साथ ही ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति पर पुनर्स्थापन की शर्तों का भी उल्लेख प्रस्तावित शास्ति में करना आवश्यक होगा। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के लिए यह अपेक्षित होगा कि शास्ति अधिरोपित किये जानेवाले आदेश में निम्नलिखित रूप में निदेश विनिर्दिष्ट किये जायँ :–

(क) अवनति की अवधि, यदि स्पष्ट इरादा यह नहीं हो कि अवनति स्थायी तौर पर होगी या अनिश्चित अवधि के लिए;

(ख) जहाँ अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट की जाय वहाँ यह भी उल्लेख किया जाय कि अवनति की अवधि की समाप्ति पर सरकारी सेवक को स्वतः उस पद पर प्रोन्नति दी जायेगी या नहीं जिस पद से वह अवनत हुआ; और

(ग) ऐसी पुनः प्रोन्नति के फलस्वरूप सरकारी सेवक उच्चतर सेवा, कोटि या पद या कालमान वेतन में, जो उसे दण्ड दिये जाने के पूर्व दिया गया था, अपनी मौलिक वरीयता पुनः प्राप्त कर लेगा या नहीं।

"**स्पष्टीकरण।–(3)** चेतावनी।–इस नियम क अर्थान्तर्गत 'चेतावनी' शास्ति नहीं है और इस कारण इसे शास्तियों की किसी भी कोटि में नहीं रखा गया है। परन्तु ऐसे अवसर आ सकते हैं जब अनुशासनिक प्राधिकार या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी को, अधीनस्थ किसी सरकारी सेवक की, उसकी लापरवाही, अभिरूचि का अभाव, कार्य में विलम्ब आदि कारणों से, आलोचना करने की आवश्यकता आ जाय। ऐसी आलोचना "मौखिक" या "लिखित" चेतावनी देकर की जा सकती है ताकि सरकारी सेवक के कार्यों में सुधार आ सके। ऐसा भी हो सकता है कि किसी आरोप के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया अर्थात स्पष्टीकरण पूछने पर उसकी जांच के बाद यह निष्कर्ष निकले कि "निन्दन" की सजा देने के बजाय आरोपित व्यक्ति को "चेतावनी" देना पर्याप्त है। ऐसी हालत में जो "चेतावनी" दी जाती है उसकी प्रविष्टि चारित्री में की जानी चाहिए। परन्तु चारित्री में प्रविष्टि हो जाने से ऐसी "चेतावनी" "निन्दन" में परिवर्त्तित नहीं हो सकती है। हालाँकि ऐसी चेतावनी का प्रभाव सरकारी सेवक की मेधा या उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने पर पड़ता है। ऐसी "चेतावनी" "निन्दन" नहीं हो सकती है, क्योंकि "चेतावनी" देते

समय उसे "निन्दन" के योग्य नहीं पाया गया था। यदि किसी सरकारी सेवक की चारित्री में "दो चेतावनियों" की प्रविष्टि हो, तो उपर्युक्त कारणों से, ऐसी चेतावनियाँ"निन्दन" में परिवर्तित नहीं मानी जा सकती हैं और न ही वे "एक निन्दन" के समान हो जा सकती हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं होता है कि सरकारी सेवक के विरूद्ध चाहे कितनी भी चेतावनियाँ चारित्री में दर्ज हो जायँ। चेतावनियाँ प्रतिकूल अभ्युक्तियों का काम करती हैं। यदि चेतावनी के बावजूद कार्य में सुधार नहीं होता है तो प्रतिवेदक/समीक्षी पदाधिकारी तदनुसार अभ्युक्ति लिखने हेतु सक्षम होते हैं।

यदि किसी सरकारी सेवक को दण्ड के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए (यानी अपने अवचार को स्पष्ट करने हेतु अवसर देकर, उसके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए) 'चेतावनी' दी जाती है और जिसकी प्रविष्टि चारित्री में की जाती है तो ऐसे मामले में उसका कुप्रभाव सरकारी सेवक की सम्पुष्टि तथा प्रोन्नति में अगले एक वर्ष तक पड़ेगा। यदि किसी सरकारी सेवक की चारित्री में पाँच चेतावनियों की प्रविष्टि हुई हों, तो उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब पाँचवीं चेतावनी के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, उस सरकारी सेवक का अगले पाँच वर्षो में कम–से–कम तीन वर्षो का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले पाँच वर्षो की अवधि में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं दी गई हो।"

12. अनुशासनिक प्राधिकार।–उच्च न्यायालय किसी सरकारी सेवक पर नियम 11 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

13. कार्यवाही संस्थित करने का प्राधिकार।–पटना उच्च न्यायालय की स्थायी समिति किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने हेतु सशक्त है।

भाग–VI

शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया।

14. वृहत शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया।–(1) जहाँ तक हो सके इस नियमावली में उपबंधित रीति से जाँच किये बिना नियम 11 के खंड (vi) से (xi) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) जहाँ कहीं भी अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सच्चाई के बारे में जांच करने के आधार हैं, वहां वह स्वयं इसकी जांच कर सकेगा अथवा उसकी सच्चाई के बारे में जांच के लिये इस नियमावली के अधीन कोई प्राधिकार नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण।–जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार स्वयं जाँच करता हो वहाँ जाँच प्राधिकार से संबंधित इस नियम के उप–नियम (7) से उप–नियम (20) में तथा उप–नियम (22) में जाँच प्राधिकार के प्रति कोई निर्देश अनुशासनिक प्राधिकार के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

(3) जहाँ इस नियम के अधीन सरकारी सेवक के विरूद्ध जांच करना प्रस्तावित हो, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकार–

(i) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के मद के रूप में लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा;

(ii) आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट रहेंगे:–

(क) सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन; और

(ख) उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार सरकारी सेवक को आरोप की मदों की एक प्रति, अवचार या कदाचार के लांछनों के उस अभिकथन तथा उन दस्तावेजों और साक्षियों की सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों का सिद्ध होना प्रस्तावित हो, देगा या दिलवायेगा तथा सरकारी सेवक से अपेक्षा करेगा कि यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन प्रस्तुत करे और यह अभिकथित करे कि क्या वह चाहता है कि उसे वैयक्तिक रूप सुना जाय।

(5)(क) बचाव का लिखित कथन प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की उन मदों के बारे में जांच–पड़ताल स्वयं कर सकेगा जिन्हें स्वीकार न किया गया हो, अथवा यदि वह इस नियम के उप–नियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ जांच प्राधिकार नियुक्त करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा और जहां सरकारी सेवक द्वारा अपने बचाव के लिखित कथन में सभी आरोपों के मदों को स्वीकार कर लिया गया हो, वहां अनुशासनिक प्राधिकार ऐसे साक्ष्य लेते हुए, जिसे वह उचित समझे, प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा तथा नियम 15 में दी गयी रीति से कार्रवाई करेगा।

(ख) यदि सरकारी सेवक द्वारा बचाव का कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की मदों की जांच–पड़ताल स्वयं कर सकेगा अथवा यदि वह इस नियम के उप–नियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ जांच प्राधिकार की नियुक्ति करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा।

(ग) जहां अनुशासनिक प्राधिकार आरोप के किसी मद के बारे में जांच–पड़ताल स्वयं करे अथवा ऐसे आरोप के बारे में जांच–पड़ताल करने के लिए जांच प्राधिकार की नियुक्ति करे, वहां वह आरोप के मदों के समर्थन में मामला को उसकी ओर से प्रस्तुत करने के लिए, एक आदेश द्वारा, किसी सरकारी सेवक को या किसी विधि व्यवसायी को 'प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी' के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(6) अनुशासनिक प्राधिकार, जहां वह जांच प्राधिकार न हो, जांच प्राधिकार को निम्नलिखित अभिलेख अग्रसारित करेगा :–

(i) आरोप के मदों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति;

(ii) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो, की एक प्रति;

(iii) इस नियम के उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट साक्षियों, यदि कोई हो, के अभिकथनों की एक प्रति;

(iv) इस नियम के उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को सरकारी सेवक को उपलब्ध कराया जाना साबित करनेवाला साक्ष्य; और

(v) 'प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी' की नियुक्ति संबंधी आदेश की एक प्रति।

(7) सरकारी सेवक, आरोप के मदों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण उसके द्वारा प्राप्त किये जाने की तिथि से दस कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि और उस समय पर, जो जांच प्राधिकार इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें, अथवा जांच प्राधिकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त दस दिनों से अनधिक समय के भीतर, जांच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा।

(8) सरकारी सेवक, अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए, अपने मुख्यालय में या जहां जांच की जा रही हो उस स्थान पर, किसी कार्यालय में पदस्थापित अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा :

परन्तु कि वह इस प्रयोजनार्थ किसी विधि व्यवसायी को तब तक नहीं रख सकेगा जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो, अथवा मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अनुशासनिक प्राधिकार ऐसी अनुमति न दे:

परन्तु और भी कि यदि अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और लिखित रूप में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, ऐसा करने की अनुमति दे तो सरकारी सेवक किसी अन्य स्थान पर पदस्थापित किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा:

परन्तु यह और भी कि सरकारी सेवक किसी ऐसे अन्य सरकारीसेवक की सहायता नही ले सकेगा जिसके पास ऐसे तीन लम्बित अनुशासनिक मामले हों जिनमें उसे सहायता देनी हो।

(9) यदि सरकारी सेवक, जिसने अपने बचाव के लिखित अभिकथन में आरोप के किसी मद को स्वीकार न किया हो या बचाव में कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत न किया हो, जांच प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होता है तो वह प्राधिकार उससे पूछेगा कि वह दोषी है या नहीं अथवा अपने बचाव के लिये उसे कुछ कहना है या नही और यदि वह आरोप के किसी मद का दोषी होने का अभिवचन करता हो तो जांच प्राधिकार उस अभिवचन को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर सरकारी सेवक से हस्ताक्षर करा लेगा।

(10) आरोप के जिन मदों के संबंध में सरकारी सेवक ने दोषी होने का अभिवचन किया हो जांच प्राधिकार उन दोषों पर अपना निष्कर्ष वापस कर देगा।

(11) यदि सरकारी सेवक, विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में विफल हो अथवा अभिवचन से इनकार करता हो या अभिवचन नही करता हो, तो जांच प्राधिकार, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करे जिनके द्वारा आरोप के मदों को वह साबित करना चाहता हो और मामले को तीस दिनों से अनधिक की बाद की तिथि के लिए स्थगित कर देगा और इस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा कि सरकारी सेवक अपना प्रतिवाद तैयार करने के लिये–

(i) आदेश किये जाने के पांच दिनों के भीतर अथवा जांच प्राधिकार द्वारा यथाअनुमत पाँच दिनों से अनधिक अतिरिक्त समय के भीतर

इस नियम के उप–नियम (3) में सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है;

(ii) अपनी ओर से परीक्षण किये जानेवाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकता है;

टिप्पणी।—यदि सरकारी सेवक उप–नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित साक्षियों के बयानों की प्रतियां उपलब्ध कराने का लिखित आवेदन करे तो जांच प्राधिकार यथाशीघ्र उसे ऐसी प्रतियां दे देगा।

(iii) आदेश किये जाने के दस दिनों के भीतर या जांच प्राधिकार द्वारा यथाअनुमत अतिरिक्त समय के भीतर ऐसे किसी दस्तावेज की खोज करने या पेश करने की नोटिस दे सकेगा जो सरकार के पास हो, किन्तु इस नियम के उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट सूची में उल्लिखित न हो:

परन्तु सरकारी सेवक सरकार द्वारा खोज की जाने वाली या प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित दस्तावेजो की प्रासंगिकता को सूचित करेगा।

(12) दस्तावेजों को खोजने या पेश करने की नोटिस प्राप्त होने पर जांच प्राधिकार उसे या उसकी प्रतिलिपियां एक अध्यापेक्षा के साथ उस प्राधिकार को, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे गये हों, अध्यापेक्षा में यथाविनिर्दिष्ट तिथि तक दस्तावेज पेश करने हेतु अग्रसारित कर देगा;

परन्तु जांच प्राधिकार, अपने द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से, ऐसी दस्तावेजों की अध्यपेक्षा को अस्वीकार कर सकेगा जिन्हें वह मामले के लिये अप्रासंगिक समझें।

(13) इस नियम के उप–नियम (12) में विनिर्दिष्ट अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अध्यपेक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखनेवाला हरेक प्राधिकार उन्हें जांच प्राधिकार के समक्ष पेश करेगा:

परन्तु अध्यपेक्षा दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखनेवाले प्राधिकार का उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यदि यह समाधान हो जाय कि ऐसे दस्तावेजों में से सभी या किसी को पेश करना लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरूद्ध होगा तो वह तदनुसार जांच प्राधिकार को सूचित करेगा और इस तरह सूचित किये जाने पर, जांच प्राधिकार, यह जानकारी सरकारी सेवक को संसूचित करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों को पेश करने या खोजने के लिये की गयी अध्यपेक्षा को वापस ले लेगा।

(14) जांच के लिये नियत तिथि को, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जिनके आधार पर आरोप के मदों को साबित करना प्रस्तावित हो, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया जायेगा साक्षियों का परीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किया जायेगा और सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी उन बिन्दुओं पर साक्षियों का पुनर्परीक्षण करने का हकदार होगा जिन पर उसका प्रतिपरीक्षण किया गया हो, किन्तु जांच प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी नये विषय पर प्रतिपरीक्षण नहीं करेगा। जांच प्राधिकार भी साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(15) अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से मामला बन्द किये जाने के पूर्व यदि आवश्यक प्रतीत हो तो जांच प्राधिकार स्वविवेक से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा जो सरकारी सेवक को दी गयी सूची में सम्मिलित न हो या स्वयं नये साक्ष्यों की मांग कर सकेगा अथवा किसी साक्षी को पुनः बुलाकर उसका पुनर्परीक्षण कर सकेगा और ऐसी दशा में सरकारी सेवक, यदि मांग करे तो, पेश किये जाने के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्यों की सूची लेने तथा ऐसे नये साक्ष्यों को पेश करने के पूर्व पूरे तीन दिनों के लिये जांच का स्थगन लेने का हकदार होगा, जिसमें स्थगन का दिन एवं जिस दिन के लिये जांच स्थगित की गयी हो, शामिल नहीं रहेंगे। अभिलेख पर लिये जाने के पूर्व, जांच प्राधिकार उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर सरकारी सेवक को देगा। जांच प्राधिकार सरकारी सेवक को भी नये साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा यदि उसकी यह राय बने कि न्याय के हित में ऐसे साक्ष्यों को पेश करना आवश्यक है:

परन्तु साक्ष्य की अनुपूर्ति के लिये नया साक्ष्य देने या मांगने या किसी साक्षी को फिर से बुलाने की अनुमति नही दी जायेगी। ऐसे साक्ष्य की मांग तभी की जा सकेगी जब मूलतः पेश किये गये साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी या दोष हो।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकार के लिये मामला बन्द हो जाय तब सरकारी सेवक से अपेक्षा की जायेगी कि वह मौखिम या लिखित, जैसा वह पसंद करे, अपने प्रतिवाद का अभिकथन करे। यदि प्रतिवाद मौखिक रूप से किया जाय तो उसे अभिलिखित किया जायेगा और सरकारी सेवक से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी। दोनों ही दशाओं में प्रतिवाद अभिकथन की प्रति नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, को दी जायेगी।

(17) उसके बाद सरकारी सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जायेगा। सरकारी सेवक यदि चाहे तो, अपनी ओर से स्वयं परीक्षण कर सकेगा। उसके बाद, सरकारी सेवक द्वारा पेश किये गये साक्षियों का परीक्षण किया जायेगा और वे अनुशासनिक प्राधिकार के साक्षियों पर लागू उपबंधों के अनुसार जांच प्राधिकार द्वारा परीक्षण किये जाने, प्रतिपरीक्षण किये जाने एवं पुनर्परीक्षण किये जाने के दायी होंगे।

(18) यदि सरकारी सेवक ने स्वयं परीक्षण न किया हो तो, सरकारी सेवक द्वारा अपना मामला बन्द किये जाने के पश्चात्, जांच प्राधिकार, सरकारी सेवक के विरूद्ध साक्ष्य में दिखनेवाली परिस्थितियों के संबंध में, उसकी स्थिति स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ, उससे सामान्य पूछताछ करेगा।

(19) साक्ष्यों को पेश किया जाना पूरा होने के बाद, जांच प्राधिकार, नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, और सरकारी सेवक को सुनेगा या, यदि वह चाहे तो, उन्हें अपने–अपने मामले का लिखित पक्ष कथन दाखिल करने की अनुमति देगा।

(20) यदि सरकारी सेवक, जिसे आरोप के मदों की एक प्रति दी गयी हो, बचाव का लिखित अभिकथन, इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तिथि को या उससे पूर्व पेश न करे अथवा जांच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित न हो अथवा इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करने में अन्यथा विफल रहे या अस्वीकार करे तो जांच प्राधिकार एकपक्षीय जांच कर सकेगा।

(21) जब कभी किसी जांच के संपूर्ण साक्ष्य या इसके किसी भाग को सुनने और अभिलिखित किये जाने के पश्चात् किसी जांच प्राधिकार को उसमें अधिकारिता न रह जाय तथा अन्य जांच प्राधिकार प्रभार ग्रहण करे, जिसे ऐसी अधिकारिता हो और जो उस अधिकारिता का प्रयोग करे, तो वह उत्तरवर्ती जांच प्राधिकार अपने पूर्ववर्ती द्वारा उस प्रकार अभिलिखित किये गये अथवा आंशिक रूप से अपने पूर्ववर्ती द्वारा तथा आंशिक रूप से स्वयं द्वारा अभिलिखित किये गये साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा:

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकार की राय हो कि साक्षियों में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले अभिलिखित किया जा चुका हो, पुनः आगे जांच न्यायहित में आवश्यक है, तो वह किसी ऐसे साक्षी को बुला सकेगा, उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनर्परीक्षण कर सकेगा, जैसा कि इसमें पूर्व–उपबंधित है।

(22)(i) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक अभिलेख तैयार किया जायेगा और इसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे:–

(क) आरोप के मदों और अवचार अथवा कदाचार के लांछन की विवरणी;

(ख) प्रत्येक आरोप के मद के संबंध में सरकारी सेवक का प्रतिवाद;

(ग) प्रत्येक आरोप के मद के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण;

(घ) प्रत्येक आरोप के मद पर निष्कर्ष और उसके कारण।

स्पष्टीकरण।–यदि जांच प्राधिकार की राय में जांच की कार्यवाही आरोप के मूल मदों से भिन्न किसी आरोप के मद को सिद्ध करे, तो वह ऐसे आरोप के मद पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे आरोप के मद पर निष्कर्ष तबतक अभिलिखित नहीं किये जायेंगे, जबतक कि सरकारी सेवक ने ऐसे तथ्यों को, जिन पर ऐसे आरोप के मद आधारित हो, या तो स्वीकार न कर लिया हो या ऐसे आरोप के मद के विरूद्ध अपना प्रतिवाद करने के लिये उसे युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(ii) जांच प्राधिकार, जहां वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकार न हो, जांच–अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित कर देगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(क) इस उप–नियम के खंड (I) के अधीन उसके द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन;

(ख) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित किये गये बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो;

(ग) जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) जांच के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी या सरकारी सेवक या दोनों के द्वारा दाखिल किये गये लिखित पक्ष–कथन, यदि कोई हो; और

(ङ) अनुशासनिक प्राधिकार तथा जांच प्राधिकर द्वारा जांच से संबंधित किये गये आदेश, यदि कोई हो।

15. जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई।–**(1)** अनुशासनिक प्राधिकार, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकार न हो, लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से, पुनः आगे जांच करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए मामले को जांच प्राधिकार के पास वापस प्रेषित कर सकेगा तथा जांच प्राधिकार उस पर, जहां तक हो सके नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पुनः आगे जांच करेगा।

(2) नियम 14, उप नियम(22) (II) या इस नियम के उप नियम (I) के अनुसार जांच प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकार यदि वह आरोप की किसी मद पर जांच प्राधिकार के निष्कर्ष से असहमत हो तो ऐसी असहमति के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करेगा तथा ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, यदि उस प्रयोजनार्थ अभिलेख में उल्लेखित साक्ष्य पर्याप्त हो।

(3) अनुशासनिक प्राधिकार जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि, उप नियम (2) में यथाउपबंधित स्वयं के निष्कर्ष, यदि कोई हो, के साथ, सरकारी सेवक को भेजेगा या भेजवायेगा, जो यदि वह ऐसा चाहे, अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को पन्द्रह दिनों के भीतर समर्पित कर सकेगा।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार, इस नियम के उप–नियम (5) एवं (6) में यथा निर्दिष्ट अग्रेतर कार्रवाई करने के पूर्व, सरकारी सेवक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन या निवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(5) आरोप के सभी या किसी मद से संबंधित अपने निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि नियम–11 के खंड (I) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह नियम 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश देगा।

(6) आरोप की सभी अथवा किसी मद पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि नियम–11 के खंड (vi) से (xi) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश देगा और अधिरोपित होनेवाली प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

> "परन्तु बर्खास्त करने, सेवाच्यूत करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराये जाने के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार राज्यपाल के आदेश से ही दंड संसूचित किया जा सकेगा।"

16. लघु शास्तियां अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया।–(1) नियम 15 के उप–नियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सरकारी सेवक पर नियम 11 के खंड (I) से (V) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश, निम्नलिखित कार्रवाईयों के किये बिना, नहीं दिया जायेगा–

(क) उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये प्रस्ताव तथा कदाचार अथवा अवचार का लांछन, जिसके आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, की सरकारी सेवक को लिखित जानकारी, और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह प्रस्ताव के विरूद्ध करना चाहे;

(ख) हरेक मामले जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार की राय में ऐसी जांच आवश्यक हो नियम 14 के उप–नियम (3) से (22) तक में विहित रीति से जांच;

(ग) सरकारी सेवक द्वारा खंड (क) के उपनियम(I) अधीन समर्पित अभयावेदन तथा खंड (ख) के अधीन की गयी जांचका अभिलेख, यदि कोई हो, पर विचार;

(घ) प्रत्येक अवचार या कदाचार पर निष्कर्ष का अभिलेखन।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नलिखित शामिल रहेंगे:–

(I) सरकारी सेवक को उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना की एक प्रतिलिपि;

(II) उसे उपलब्ध कराये गये अवचार या कदाचार के लांछन के अभिकथन की एक प्रतिलिपि;

(III) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;

(IV) जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य;

(V) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन के बारे में निष्कर्ष; और

(VI) मामले पर, कारणों के साथ, आदेश।

17. **कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया।**–नियम 14 से 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(i) जहां किसी सरकारी सेवक पर कोई शास्ति किसी अपराधिक आरोप के संबंध में उसकी दोषसिद्धी की ओर ले जाने वाले आचरण के आधार पर अधिरोपित किया जाय; अथवा

(ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकार का अपने द्वारा, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है; अथवा

(iii) जहां सरकार का समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से कोई जांच करना राज्य के हित में समीचीन नहीं है,

तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले की परिस्थियों पर विचार कर सकेगा तथा ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु खंड (i) के अधीन किसी मामले में कोई आदेश करने के पूर्व अधिरोपित की जानेवाली प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन देने का एक अवसर दिया जायेगा।

18. **आदशों का संसूचन।**–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिये गये आदेश सरकारी सेवक को संसूचित किये जायेंगे जिसे आरोप के प्रत्येक मद पर निष्कर्ष, अथवा जहां अनुशासनिक प्राधिकार जांच प्राधिकार नहीं है वहां जांच प्राधिकार के निष्कर्षों से असहमति, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कारणों सहित अनुशासनिक प्राधिकार के निष्कर्षों के एक अभिकथन की प्रति उपलब्ध कराये जायेंगे।

19. **सम्मिलित कार्यवाही।**–**(1)**जहां किसी मामले में दो या अधिक सरकारी सेवक संबंधित है वहां सरकार या ऐसे सभी सरकारी सेवकों की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम कोई अन्य प्राधिकार आदेश द्वारा निदेशित कर सकेगा कि उन सभी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई एक सम्मिलित कार्यवाही के तहत की जा सकती है।

टिप्पणी।–यदि ऐसे सरकारी सेवकों की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम प्राधिकार भिन्न हों तो कॉमन कार्यवाही के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश ऐसे प्राधिकारों में उच्चतम प्राधिकार द्वारा अन्यों की सहमति से दिया जा सकेगा।

(2) किसी ऐसे आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रहेगा–

(i) ऐसी कॉमन कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में कार्य कर सकनेवाला प्राधिकार;

(ii) नियम 11 में निर्दिष्ट शास्तियाँ जिन्हें ऐसा अनुशासनिक प्राधिकार अधिरोपित करने में सक्षम होगा;

(i) नियम 14 एवं नियम 15 या नियम 16 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण कार्यवाही में होगा या नहीं।

भाग–VII
अपील/पुनर्विलोकन

20. अपील/पुनर्विलोकन।–(1) नियम 11 के अधीन दी गई शास्ति के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, फिर भी व्यथित न्यायिक पदाधिकारी नियम 11 के अधीन, यथास्थिति, वृहद शास्तियों या लघु शास्तियों में से किसी एक के अधिरोपण आदेश सहित अनुशासनिक प्राधिकार के किसी आदेश के विरूद्ध सरकार के समक्ष ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल कर सकेगा।

(2) उस पर किसी ऐसी शास्तियों के अधिरोपण आदेश की संसूचना की तिथि से 45 दिनों के भीतर ऐसा पुनर्विलोकन दाखिल किया जा सकेगा:

परन्तु इस नियमावली के अधीन कोई आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकार, समुचित तथा यथेष्ट कारणों से, या यदि यथेष्ट कारण दर्शाया जाये, इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय का विस्तार और विलम्ब का उपमर्षण कर सकेगा।

(3) राज्यपाल, व्यथित न्यायिक पदाधिकारी से पुनर्विलोकन का ज्ञापन प्राप्त करने पर, उसे उच्च न्यायालय को उनकी राय के लिए अग्रसारित करेंगे और उच्च न्यायालय की राय प्राप्त हो जाने पर, राज्यपाल, उच्च न्यायालय द्वारा विधिसम्मत अग्रसारित राय के अनुसार, पुनर्विलोकन पर विनिश्चय करेंगे।

(4) इस प्रकार दाखिल किया गया पुनर्विलोकन का निपटान राज्यपाल को पुनर्विलोकन का ज्ञापन सौपने की तिथि से तीन महीने के भीतर कर दिया जायेगा।

21. शंकाओ का निराकरण–(1)यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले को उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जायेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) बिहार सेवा संहिता और बिहार पेन्शन नियमावली के उपबंध सरकारी सेवक पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, वैसे मामलों में लागू होंगे, जिसके लिए इस नियमावली में कोई प्रावधान न हो।

22. विनियम बनाने की शक्ति।–(1) उच्च नयायालय इन नियमों के सभी अथवा किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन बनाये गये सभी विनियम राज्यपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

23. निरसन एवं व्यावृति।–(1) इस नियमावली के लागू होने के ठीक पहले प्रवृत इस नियमावली, आदेश और संकल्प, यदि कोई हो, के तत्संगत सभी नियमावली इस नियमावली के अधीन आने वाले विषयों के संबंध में एततद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु–

(क) ऐसा निरसन उक्त नियमों और आदेशों या उसके अधीन की गयी कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई के पूर्ववर्ती क्रियान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा;

(ख) इस नियमावली के आरंभ होने पर निरसित किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन लंबित कोई कार्यवाही इस नियमावली के अनुसार, जहाँ तक सम्भव हो सके, चलती रहेगी और उसका तत्संगत निपटान किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के आरंभ के पहले किये गये किसी आदेश के विरूद्ध, इस नियमावली के आरंभ होने पर, लंबित, या दाखिल पुनर्विलोकन का निपटान नियम 20 के अनुसार किया जायेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

20/8/20

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–10/2018 सा0प्र0वि 7206 /पटना–15, दिनांक– 20.8.2020

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना और ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को इसकी सी0डी0 सहित दो प्रतियों में असाधाण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

(2) अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग को इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) प्रतियाँ उपलब्ध करायी जायँ।

20/8/20

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–10/2018 सा0प्र0वि 7206 /पटना–15, दिनांक– 20.8.2020

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–13 दिनांक 18.08.2020 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश/सभी विभाग/सभी विभागों के प्रधान और आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

20/8/2020

सरकार के उप सचिव।